उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-6
संख्या-875/नौ-6-2016-205मिस/06टी.सी.
लखनऊ : दिनांक 04 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-1835/नौ-6-2013 दिनांक 30.07.2013 के क्रमांक-3 के सम्मुख अंकित स्तम्भ में नगर पालिका परिषद, साण्डी जनपद हरदोई में नामनिर्दिष्ट सदस्य के रूप में नामित किये गये 05 सदस्यों में से श्रीमती सन्नो पत्नी श्री छोटे लाल बाल्मीकी निवासी औलादगंज साण्डी, हरदोई की दिनांक 04.08.2013 को मृत्यु हो जाने के कारण नामित सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

2- अतः नगर पालिका परिषद, साण्डी में नामनिर्दिष्ट सदस्य के रिक्त पद पर, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन, 1916) की धारा-9 की उपधारा-(1) के खण्ड-(घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय श्री रामजी गुप्ता पुत्र श्री हरिनारायण गुप्ता, मोहल्ला औलादगंज, साण्डी, हरदोई को नगर पालिका परिषद, साण्डी में रिक्त पद के सापेक्ष नामित सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है।

3- उक्त अधिसूचना संख्या-1835/नौ-6-2013 दिनांक 30.07.2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या-875(1)/नौ-6-16 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक (प्रभारी), राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड ख में दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को प्रकाशित कराकर उसकी 50 मुद्रित प्रतियॉं नगर विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या-875(2)/नौ-6-16 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, हरदोई ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, साण्डी, जनपद हरदोई **(द्वारा जिलाधिकारी, हरदोई)**
6. श्री रामजी गुप्ता पुत्र श्री हरिनारायण गुप्ता, मोहल्ला औलादगंज, साण्डी, हरदोई **(द्वारा जिलाधिकारी, हरदोई)।**
7. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को नगर विभाग विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

uo-so2 (1)